UPMI010031412026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–01, मीरजापुर
पीठासीन अधिकारी– संतोष कुमार गौतम (उ०प्र० न्यायिक सेवा)
प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या–228/2026

उत्तर प्रदेश राज्य....बनाम.....नत्थू प्रसाद उर्फ साहिल
धारा–305ए, 317(2), 317(4), 317(5), 3/5 बीएनएस,
थाना–चुनार, जनपद मीरजापुर।
मु0अ0सं0 308/2024

दिनांक–27.09.2026

1. पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/आवेदक नत्थू प्रसाद भारती के विद्वान अधिवक्ता तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ''फौजदारी'' के तर्क को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

2. प्रार्थी/आवेदक नत्थू प्रसाद भारती पुत्र महेन्द्र प्रसाद, निवासी ग्राम भड़ाव, थाना–जंसा, जिला वाराणसी द्वारा वाहन पंजीयन संख्या– UP 67 M 7719 का पंजीकृत स्वामी है तथा प्रार्थी के उपरोक्त वाहन को थाना चुनार, मीरजापुर की पुलिस द्वारा उक्त वाहन को उपरोक्त मुकदमें में सीज कर निरूद्व कर दिया गया है। प्रार्थी के वाहन के समस्त कागजात वैध व प्रभावी है। अतः उपरोक्त वाहन को प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

3. प्रार्थी द्वारा वाहन का पंजीयन प्रमाण–पत्र मूल रूप में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

4. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, चन्दौली की आख्या कागज संख्या–10ख प्राप्त है, जिसके अनुसार वाहन पंजीयन संख्या– UP 67 M 7719 का आवेदक पंजीकृत स्वामी है।

5. न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर की आख्या कागज संख्या 8ख दिनांकित 12.06.2026, के अनुसार राज्य बनाम नत्थू प्रसाद उर्फ साहिल व अन्य, मु0अ0सं0–308/2024 धारा–305ए, 317(2), 317(4), 317(5), 3/5 बीएनएस, थाना–को0चुनार, मीरजापुर में निरूद्व वाहन पंजीयन संख्या– UP 67 M 7719 के जब्तीकरण का वाद वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

6. थाने से प्राप्त आख्यानुसार मु0अ0सं0–308/2024 धारा–305ए, 317(2), 317(4), 317(5), 3/5 बीएनएस के अभियोग में वाहन पंजीयन संख्या– UP 67 M 7719 थाना प्रांगण में खड़ी है।

7. अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ''फौजदारी'' द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि उक्त वाहन माल मुकदमाती है। अतः वाहन को प्रार्थी के पक्ष में अवमुक्त किये जाने का विरोध किया गया है।

8. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

9. प्रार्थी/आवेदक द्वारा उक्त वाहन का पंजीयन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अवलोकन से उक्त वाहन का आवेदक पंजीकृत स्वामी है। उक्त वाहन के सम्बन्ध में किसी अन्य द्वारा दावा नहीं किया गया है। उक्त वाहन थाने में

दाखिल रहने से उसके क्षतिग्रस्त होने की प्रबल सम्भावना है तथा उसकी उपयोगिता प्रभावित होगी। थाने की आख्यानुसार उक्त वाहन थाना प्रांगण में खड़ी है।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सुन्दर भाई अम्बा लाल देसाई बनाम स्टेट गुजरात राज्य, ए0आई0आर0 2003 एस.सी. 638** में दिये गये निर्देशों के अनुसार किसी भी वाहन/सम्पत्ति को अत्यधिक समय तक थाने पर निरूद्व रखना राष्ट्रीय क्षति के रूप में देखा जाना चाहिए तथा प्रश्नगत सम्पत्ति को शीघ्र अति शीघ्र पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में सशर्त दिया जाना चाहिए।

11. धारा–451 दण्ड प्रक्रिया संहिता भी यह व्यवस्था करता है कि न्यायालय किसी सम्पत्ति को उसके समक्ष जॉच अथवा विचारण के दौरान पेश की जाती है, उसे जॉच अथवा विचारण के समाप्त होने तक उचित अभिरक्षा के लिए ऐसा आदेश, जैसा वह ठीक समझे, कर सकती है। अतः न्यायालय वाहन पंजीयन संख्या–UP 67 M 7719 को उसके पंजीकृत स्वामी/प्रार्थी के सुपुर्दगी में उचित अभिरक्षा हेतु अवमुक्त करना समुचित पाती है।

12. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/आवेदक नत्थू प्रसाद उर्फ साहिल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार वाहन पंजीयन संख्या– UP 67 M 7719 निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवेदक की सुपुर्दगी में अवमुक्त किया जायेः

1. प्रार्थी द्वारा वाहन हेतु मु0–5,00,000/रूपये का व्यक्तिगत बंध–पत्र तथा न्यायालय की संतुष्टि का समान धनराशि का एक प्रतिभू व इस आशय की अण्डरटेकिंग की जब कभी भी आवश्यकता होगी, वाहन को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
2. प्रार्थी स्वयं के खर्चे पर वाहन का फोटोग्राफ इस प्रकार करायेगा, जिससे कि इंजन नम्बर के साथ वाहन पर उत्कीर्ण चेचिस नम्बर पर कागज रखकर रगड़ से प्राप्त चेचिस नम्बर दर्शित हो। इस प्रकार के फोटोग्राफ व उत्कीर्ण चेचिस नम्बर पर कागज रखकर रगड़ से प्राप्त चेचिस नम्बर विवेचक की मौजूदगी में लिया जायेगा, जिसे मुकदमें की पत्रावली में रखा जायेगा।
3. प्रार्थी के व्यक्तिगत बंध–पत्र पर प्रार्थी का व प्रतिभू के बंध–पत्र पर प्रतिभू का फोटोग्राफ लगाया जायेगा तथा न्यायालय के समक्ष प्रतिभू की पहचानकर्ता का फोटोग्राफ भी प्रतिभू के बंध–पत्र पर लगाया जायेगा, जिसमें प्रतिभू तथा पहचानकर्ता के सम्पूर्ण आवासीय विवरण अंकित होंगे।
4. प्रार्थी इस आशय का अण्डरटेकिंग दाखिल करेगा कि वह प्रश्नगत वाहन का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं करेगा तथा वाहन को पहचान विहीन करने के उद्देश्य से उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा।
5. प्रार्थी वाहन को किसी समाज–विरोधी गतिविधि में उपयोग नहीं करेगा।

सत्र लिपिक इस आदेश की एक प्रति सत्र परीक्षण की पत्रावली में संलग्न करेगा। इस आदेश की एक प्रति आदेश के अनुपालन हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को भेजी जावे।

दिनांक 29.07.2026

(सन्तोष कुमार गौतम)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01,मीरजापुर।
J.O. Code- UP2396